

// जय श्री दादाजी //



विक्रय-पत्र (कृषि भूमि)

बिक्री मूल्य 2,00,000/- रु. (अक्षरी दो लाख रुपये मात्र)

संपत्ति वाके ग्राम 'दोंदवाड़ा' प.ह.नं. 88, रा०नि०म०-छैगाँवखमान, वि०ख०-छैगाँवमाखन, तहसील-खण्डवा जिला पूर्व निमाड के भाग में स्थित है। जिसका ऋण पुस्तिका भाग एक का क्रं. एन/54222 है।

बिक्रीत संपत्ति असिंचित रक्बे की है, विक्रेता के पास भू अधिकार एवं ऋण पुस्तिका भाग एक है जिसका क्रं. एन/54222 है। बिक्रीत संपत्ति राष्ट्रीय राज्य मार्ग पर स्थित नहीं है।

मुद्रांक शुल्क	11000-00
ज.प. शुल्क	2000-00
उपकर	550-00
कुल योग	13550-00

..2..

5000Rs.

INDIA NON JUDICIAL

4000₹

R ₹ 5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

मध्यप्रदेश MADHYA PRADESH

003002

..2..

बिक्रीत संपत्ति शासकीय पटटा अथवा भू-द्वान की नहीं है। बिक्रीत संपत्ति कृषि कार्य की होकर कृषि मढ़ में दर्ज है। इस लेख के ढोनों पक्षकार मध्यप्रदेश भू-राजस्व की धारा 165 तथा सिलिंग एक्ट सन् 1960 का उल्लंघन नहीं करते हैं। क्रेता एवं विक्रेता आदिवासी नहीं हैं।

-::क्रेता का नाम-::

1. सेठी एचीटेक प्रा.लिमि.

डायरेक्टर-श्रीमती आशा सेठी पति श्री कमलेश सेठी जाति जैन,

निवासी संतोषनगर कॉलोनी, इंदौर रोड, खण्डवा तहसील खण्डवा

जिला पूर्व निमाड म.प्र. को...

-:: विक्रेता का नाम-::

1. श्रीमती खातूनबी पति श्री हाजी नूर मोहम्मद, जाति मुसलमान,

निवासी हातमपुरा, खण्डवा तहसील खण्डवा जिला पूर्व निमाड म.प्र...ने

-::प्रतिफल-::

25,000/-रु. अक्षरी पच्चीस हजार रुपये पूर्व में प्राप्त.

1,75,000/-रु. अक्षरी एक लाख पिछोत्तर हजार रुपये आज दिनांक को प्राप्त इस प्रकार बिक्री मूल्य की संपूर्ण राशि

2,00,000/-रु. अक्षरी ढो लाख रुपये प्राप्त सो हम भरपाये

३७८

..3..



याप्रदेश / MADHYA PRADESH

...2...

बिक्रीत संपत्ति शासकीय पट्टा अथवा भू-दान की नहीं है। बिक्रीत संपत्ति कृषि कार्य की हीकर कृषि मद में दर्ज है। इस लेख के ढोनों पक्षकार मध्यप्रदेश भू-राजरच की धारा 165 तथा सिलिंग एक्ट सन् 1960 का उल्लंघन नहीं करते हैं। क्रेता एवं विक्रेता आदिवासी नहीं हैं।

-::क्रेता का नाम-::

1. सेठी एबीटेक प्रा.लिमि.

डायरेक्टर - श्रीमती आशा सेठी पति श्री कमलेश सेठी, जाति जैन, निवासी संतोषनगर कॉलोनी, इंदौर रोड, खण्डवा, तहसील खण्डवा जिला पूर्व निमाड म.प्र. को...

-:: विक्रेता का नाम-::

1. श्रीमती खातूनबी पति श्री हाजी नूर मोहम्मद, जाति मुसलमान, निवासी हातमपुरा, खण्डवा तहसील खण्डवा जिला पूर्व निमाड म.प्र. ने

-::प्रतिफल-::

25,000/-रु.

अक्षरी पच्चीस हजार रुपये पूर्व में प्राप्त.

1,75,000/-रु.

अक्षरी एक लाख पिछोत्तर हजार रुपये आज दिनांक को प्राप्त इस

प्रकार बिक्री मूल्य की संपूर्ण राशि

2,00,000/-रु.

अक्षरी दो लाख रुपये प्राप्त सो हम भरपाये

..3..

(उत्तर)

भारतीय गैर-न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500



FIVE HUNDRED
RUPEES

पाँच सौ रुपये

Rs. 500

INDIA NON JUDICIAL

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

B 227972

..3...

...संपत्ति का विवरण:-

संपत्ति वाके भाग 'दोंदवाड़ा' प.ह.नं. 88, रा०नि०मं०-छैगाँवखमान, वि०ख०-छैगाँवमाखन, तहसील-खण्डवा जिला पूर्व निमाड़ के भाग में स्थित खेत खसरा नंबर 851, रकबा 4.24 हैक्टेयर इस पैकि मध्य का भाग 1.40 हैक्टेयर असिंचित जमीन आज जिस भी हालत में है उसी हालत में आज आपको बिक्री कर मौके पर आप क्रेता का कब्जा भी करा दिया है। सो इस 1.40 हैक्टेयर जमीन की चतुरसीमा :-

पूर्व को	-	खसरा नंबर 858/1 की जमीन
पश्चिम को	-	सीताराम पटेल की जमीन
उत्तर को	-	इरी पैकि शेष जमीन बाढ़ समकीत जैन की जमीन
दक्षिण को	-	आज ही सेरी एव्रीटेक प्रा.लिमि. को बेची जमीन

इस आराजी में आने जाने का रास्ता दक्षिण की पूर्व मेढ़ से मय, गाड़ी, बैल, पैदल, मवेशी, ट्रेक्टर-ट्राली आदि के रहेगा।

सो इस हृद हृद व चतुरसीमा के मध्य की संपत्ति आपको मय, हक, मालकी व दीगर आदि के कुल हक हकूक सहित बेचाढ़ेकर आपके कब्जे में कर ढी है।

..4..

मुकु



मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

B 227973

..4..

ऐसा कि, उपर लिखी संपत्ति हम विक्रेता की मालकी, कब्जा, स्वत्व एवं आधिपत्य की है, तथा उपर लिखी संपत्ति हमगे पंजीबद्ध बिक्री पत्र दिनांक 13/10/2008 को पु.क्र. 13, बंग 9539 के 7 पृ.68 से 74 के क्र. 2872 के द्वारा श्री प्रदीप कुमार पिता श्री गौरीशंकर वर्मा, निवासी खण्डवा से क्रय की थी, तथा उपरलिखी संपत्ति राजस्व अभिलेखों में हम विक्रेता के नाम से दर्ज है, तथा उपर लिखी संपत्ति में हम विक्रेता के अलावा अन्य कोई हिस्सेदार एवं भागीदार नहीं है। विक्रेता को उपर लिखी संपत्ति को हर प्रकार से विक्रय, हस्तांतरण करने का पूरा-पूरा हक व अधिकार प्राप्त है। चूंकि विक्रेता को पारिवारिक खर्च, एवं लाभप्रद विनियोजन हेतु रूपयों की आवश्यकता है, इस कारण उपर लिखी संपत्ति को विक्रय करके विक्रेता अपनी आवश्यकता को पूरी करना चाहता है। उपर लिखी संपत्ति को विक्रय करने की बात विक्रेता ने क्रेता से की तो विक्रेता एवं क्रेता के मैदानी उपर लिखी संपत्ति का कुल विक्रय मूल्य 2,00,000/- रु. अक्षरी ढो लाख रूपये मात्र में तय हुआ है उक्त मूल्य में क्रेता उपर लिखी संपत्ति को क्रय करने को तत्पर है, जो बिक्रीत अचल संपत्ति का आज के समय मान से उचित एवं जायज मूल्य है। इससे अधिक मूल्य आना संभव नहीं है। अतएव विक्रेता ने उपर लिखी संपत्ति क्रेता को 2,00,000/- रु. अक्षरी ढो लाख रूपये मात्र के मूल्य में विक्रय करके, विक्रय मूल्य की संपूर्ण राशि क्रेता से उपरोक्तानुसार प्राप्त कर ली है, सो भरपाये, ऐसो पाकर इन रूपयों के एवज में उपर लिखी संपत्ति हंर हमेशा के बारते क्रेता को विक्रय करके विक्रेता ने क्रेता के कब्जे में कर दी है एवं क्रेता ने भी विक्रेता से मौके पर ढो गवाहों के समक्ष उपर लिखी संपत्ति का कब्जा प्राप्त कर लिया है।

.....
.....

..5..



मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

B 227974

..5..

अब आप क्रेता बिक्रीत संपत्ति के पूरे सोलह आने के मालिक एवं कब्जेदार हो चुके हो, अब आप क्रेता ने बिक्रीत संपत्ति पर अपना कब्जा रखकर बिक्रीत संपत्ति का मालिक की हैसियत से जैसा चाहें वैसा उपयोग एवं उपभोग प्राप्त करते जाना। बिक्रीत संपत्ति के संबंध में विक्रेता को जितने हक, अधिकार एवं सुखाधिकार प्राप्त है, उन सब हक, अधिकार एवं सुखाधिकार सहित संपत्ति आप क्रेता को विक्रय की है।

अब आप क्रेता ने बिक्रीत संपत्ति को इस लेख के माध्यम से राजस्व प्रपत्रों एवं ग्राम पंचायत आदि के लेखों में विक्रेता के नाम के स्थान पर आप क्रेता का नाम दर्ज करवा लेना एवं आप क्रेता का नाम दर्ज करवाने में जहाँ भी विक्रेता के हरताक्षर एवं कथन की आवश्यकता होगी विक्रेता क्रेता को पूर्ण सहयोग प्रदान करेगा।

बिक्रीत संपत्ति का आज दिनांक से पहले तक का बकाया लगान, अद्वाव हम विक्रेता अद्वा करेंगे एवं आज के बाद से आप क्रेता ने समय पर देते जाना।

बिक्रीत संपत्ति पर विक्रेता का, विक्रेता के वारसान, रिश्तेदार, भाईबंध, कुटुम्ब, परिवार के सदस्य का किसी प्रकार का कोई हक, दावा, अधिकार, झगड़ा आदि रहा नहीं अगर उपरोक्त किसी प्रकार के शख्स ने कोई हक, दावा, अधिकार, झगड़ा किया तो वह सब इस लेख के समक्ष रद्द व नाजायज माना जावेगा तथा आप क्रेता का कब्जा इस लेख के तहत कायम रहेगा।

(Signature)

..6..

भारतीय गैर न्यायिक
भारत INDIA

₹. 500



FIVE HUNDRED
RUPEES

Rs. 500

पाँच सौ रुपये

INDIA NON JUDICIAL

प्रदेश MADHYA PRADESH

B 227975

..6..

बिक्रीत संपत्ति पर किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक, सहकारी बैंक, भूमि विकास बैंक, वित्तीय निगम, अथवा मध्यप्रदेश गृह निर्माण मण्डल, एवं जीवन बीमा निगम आदि का कोई कर्ज भार इत्यादि नहीं है, और ना ही संपत्ति विक्रेता के द्वारा किसी अन्य लेख के जरिये कहीं पर रहन, बय, बक्षीस, चार्ज, कुर्की, बंधक, दान, बिक्री, गिरवी, वसीयत, जमानत, मेहर, एवं अदालती डिक्री आदि में की है, आप क्रेता को सभी प्रकार के भार बोझे से मुक्त साफ एवं पाक हालत में संपत्ति बेची है।

बिक्रीत संपत्ति के स्वत्व संबंधी अथवा अन्य विषयक कोई वाद अथवा विवाद किसी भी न्यायालय या कार्यालय में अथवा शासन के समक्ष विचाराधीन नहीं है। बिक्रीत संपत्ति बाबत कोई विवाद पाया जावे या कोई बोझा पाया जावे अथवा अन्य किसी भी कारण से, संपत्ति की मालकी में ढोष पाये जाने से बिक्रीशुदा संपत्ति सम्पूर्ण अथवा कुछ भाग आप क्रेता को प्राप्त न हो सके अथवा आप क्रेता के कब्जे से निकल जावे तो आप क्रेता के इन कुल खपयों के मय ब्याज एवं खर्च सहित के देनदार एवं जवाबदार हम विक्रेता रहेंगे और आप क्रेता हमारे से एवं हमारी अन्य अचल संपत्ति से पाने के अधिकारी रहोगे। इसमें हम विक्रेता को लेश मात्र भी उजर या आपत्ति नहीं रहेगी, बिक्रीशुदा संपत्ति हम विक्रेता की मालकी एवं कब्जे की है, जिसे बिना बोझे के आप क्रेता को बिक्री की है।

...7..

بِلَّوْن



मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

B 227976

..7..

अतः यह विक्रय-पत्र विक्रता ने अपनी राजी-खुशी से बिना किसी डर दबाव के बिक्री मूल्य की कुल राशि उपरोक्तानुसार प्राप्त कर लिख दिया सो सही सनद रहे वक्त जखरत के काम आवे, इति दिनांक : 30/11/09

गवाह :

सही/- विक्रेता

(.) (.) (.)

हरता -

नाम -

पिता -

पता - नूज नडी, रखेड़न (पर्य)

हरता -

सही/- क्रेता

.....

नाम - डिल्लर दगाने

पिता -


पता - कांदवारी रवेड़वा (म.प.)

नोट - इस लेख में कोई काँट-छाँट नहीं हैं.

.....

उभयपक्षों द्वारा दी गई जानकारी एवं माहिती के अनुसार यह दस्तावेज का प्रारूप रे द्वारा मेरे कार्यालय में मुद्रित करवाया गया.

इक्र: मुकेश रमेश सोमानी 9827301895


अधिवक्ता, खण्डवा